**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या**: 2005

**दिनांक** 09 **दिसंबर**, 2021

## एल.एन.जी. टर्मिनल

†2005. **श्री कल्याण बनर्जी**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एल.एन.जी. के भंडारण और पुन: गैसीकरण के लिए हुगली नदी के किनारे कुकराहाटी में तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और वहां पर इसकी व्यावसायिक रूप से शुरूआत कब तक हो जाएगी; और

(ग) प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 कि.मी. लंबी पाइप लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसका समापन संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) और (ख): जी, नहीं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

(ग): बिहार में डोभी से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 'प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना' के तौर पर विख्यात जगदीशपुर-हल्दिया तथा बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना का हिस्सा है जिसे दिनांक 07.02.2021 को चालू किया गया है और माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

****